न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 51/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. पाबुराम पुत्र जेठाराम जाति सीरवी निवासी करमावास तह0 सोजत जिला—पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

दिनांक 15.02.2022

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम उदेशी कुआं, पटवार हल्का मुरडावा, तहसील सोजत में वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 828 रकबा 5.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 834 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.7500 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल रकबा 11.3000 हैक्टर की स्थित है, उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि को वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा मिलान के अनुसार गत खसरा नम्बर 183/46 रकबा 70 बीघा 04 बिस्वा से बने है। उक्त कृषि भूमि सैटलमेंट के समय गत खसरा नम्बर 183/46 रकबा 70 बीघा 04 बिस्वा में से 14 बीघा 01 बिस्वा कृषि भूमि को दुर्गाराम, दीपाराम, कानाराम, बालूराम, राजीराम, पाबूराम पिसरान जेठाराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 17/08/1997 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया गया। उक्त कृषि भूमि के गत खसरा नंबर 183/46 से बने नये खसरा नम्बरान में नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु एक आवेदन पत्र श्रीमान सहायक प्रबंधक सेटलमेंट डिपार्टमेंट जोधपुर के समक्ष पेश किया गया। जिसके पत्रावली संख्या 356/1979 है, जिसमें दिनांक 12/12/1979 को लादू व हरीया के स्थान पर दुर्गाराम, दिपाराम, कानाराम, बालुराम, राजीराम, पाबुराम पिसरान जेठाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिया गया। जिसके आधार पर खसरा मिलान के उक्त नाम दर्ज किया गये। सैटलमेंट के बाद उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2057—2060 में दर्ज खातेदार पाबूराम के स्थान पर लालूराम दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ है। उक्त राजस्व रेकर्ड के चौसाला दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का की गलती एवं त्रुटिवश पाबुराम के स्थान पर लालूराम दर्ज हुआ है, जिस वजह से आज दिन तक राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में लालूराम के नाम से दर्ज चला आ रहा है। उक्त त्रुटि होने से वादी अपने जायज हक एवं अधिकारों से वंचित हो रहा है तथा वादी को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा हैं ऐसी स्थिति में वादी लालूराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर पाबुराम पुत्र जेठाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है, इसलिए यह वाद बाबत खातेदारी घोषणा करवाकर रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान के समक्ष पेश है। बिनायदावा तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा उक्त रेकर्ड में त्रुटि करने से तथा दस्तावेज की नकले दिनांक 23/01/2021 को प्राप्त होने के बाद एवं तहसीलदार सोजत के द्वारा दिनांक 25/02/2021 को नियमित वाद पेश करने की हिदायत देने पर बिनायदावा उत्पन्न

हुआ जो यह वाद अन्दर म्याद पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा उदेशी कुआं तहसील सोजत में स्थित होने से यह वाद पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 828 रकबा 5.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 834 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.7500 हैक्टर में दर्ज खातेदार लालूराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर पाबुराम पुत्र जेठाराम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित तथ्यों को कानूनी दर्शाते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वयं सिद्ध किए जाने के तथ्य अंकित किये है।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा खसरा नम्बर 828 रकबा 5.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 834 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.7500 हैक्टर में दर्ज खातेदार लालूराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर पाबुराम पुत्र जेठाराम दर्ज किया जावें। चूंकि भू0प्रबन्ध विभाग आज्ञा पत्र आदेश दिनांक 12.12.1979 में वादी का नाम पाबुराम के नाम से आदेश जारी हुआ है। किन्तु जमाबंदी सम्वत 1957 से 60 पाबुराम के स्थान पर गलत रूप से लालुराम दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार, सोजत ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

अधिवक्ता वादी ने शहादतवादी हेतु मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश कर स्वयं के बयान कलमबद्ध करवाये। वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी सम्वत 2073–76 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली 356/1979 प्रदर्श–2, सहायक भू0प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष दुरूस्ती बाबत् प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रदर्श–3, पेश किये है, सा0मि0 है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र जबाब प्रतिवादी फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा भू0प्रबन्ध विभाग के आदेश दिनांक 16.07.1979 प्रदर्श–2, भू0प्रबन्ध विभाग को प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रदर्श–3, में वादी का नाम बतौर पाबुराम दर्ज है। किन्तु पश्चातवर्ती जमाबंदी बनाते समय वादी का नाम पाबुराम के स्थान पर लालुराम सेवन से दर्ज होने की पुष्टि होती हैं । लिहाजा वादी का वाद स्वीकार कर वादस्थ भूमि में वादी का नाम लालुराम के स्थान पर पाबुराम दर्ज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम उदेशी कुआं, पटवार हल्का मुरडावा, तहसील

उप खण्ड अधिकारी सोजत

सोजत में वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 828 रकबा 5.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 834 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.7500 हैक्टर में दर्ज खातेदार लालूराम पुत्र जेठाराम के स्थान पाबुराम पुत्र जेठाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. पाबुराम पुत्र जेठाराम जाति सीरवी निवासी करमावास तह0 सोजत जिला–पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 51/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम उदेशी कुआं, पटवार हल्का मुरडावा, तहसील सोजत में वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 828 रकबा 5.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 834 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 838 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.7500 हैक्टर में दर्ज खातेदार लालूराम पुत्र जेठाराम के स्थान पाबुराम पुत्र जेठाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.02.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

मुद्दई जत	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.